न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 00081/2016/223

1. अमरसिंह पुत्र शेरसिंह,
2. देवीसिंह पुत्र शेरसिंह,
   समस्त जाति रावत, निवासी गांव सरवीना, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती पूनी देवी पुत्री घीसा पत्नि किशनसिंह,
2. श्रीमती झमकू देवी पुत्री घीसा पत्नि बाबूसिंह,
   दोनों जाति रावत, निवासी गांव सेदरिया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. राजू पुत्र शेरसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम सरवीनपा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, ब्यावर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 9.2.2016 अंतर्गत वाद संख्या 106/2013.

उपस्थितः—

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री प्रदीप विश्नोई, वकील रेस्पोडेंट संख्या 2.
3. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 05.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के आदेश दिनांक 9.2.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 एवं धारा 136 भू—राजस्व अधि0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया गढ़ी थोरियान में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1603, 1649, 1658/1 कुल रकबा 15—19—10 बीघा भूमि

स्थित है । इस भूमि के पूर्व खसरा संख्या 1079, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098 व 1102 थे । वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज घाझीसिंह थे, जिनके दो पुत्र घीसा व भैरा हुए । वादी भैरा की पुत्री गट्टू देवी के वारिसान है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 घीसा की पुत्री पूनी एवं झमकू है । सन् फसली जमाबंदी 1350 में भैरा व घीसा का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किया हुआ है तथा भैरा की मृत्यु के बाद उसकी वारिस एक मात्र गट्टू देवी रही तथा भैरा के कुल 1/2 भू–भाग पर संयुक्त रूप से प्रतिवादीगण के साथ काबिज काश्तकार रही तथा विगत दिनांक जानकारी होने पर इंद्राज दुरूस्ती कराना आवश्यक हुआ । वाद के लंबित रहते प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का पेश कर बेचाननामा दिनांक 21.6.1957 तथा 12.8. 1958, 15.1.1957, 18.11.1957, 17.5.1958 तथा 31.7.1958 के अनुसार वाद खारिज किए जाने की प्रार्थना की । जिस पर अधी0न्याया0 द्वारा यह आदेश पारित किया कि वर्तमान वाद में वर्णित भूमियों के कुल 9 खसरा नंबर है तथा जिस विक्रय पत्र बाबत् कथन किया जा रहा है वह वादपत्र में वर्णित कुल 3 खसरा नंबरों से संबंधित है शेष से नहीं है । ऐसी स्थिति में वाद खारिज किया जाना विधिसम्मत् नहीं है । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 23.2.2015 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को निरस्त कर दिया । तत्पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का पेश किया गया जिसे अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 9.2.2016 द्वारा स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 16.9.2013 को वाद दर्ज कर आगामी कार्यवाही आरंभ की तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से दिनांक 15.1.2014 को जवाबदावा मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये । तत्पश्चात् दिनांक 3.6.2014 को वादिया गट्टू की मृत्यु होने पर कायम मुकाम को अभिलेख पर लिया गया एवं वाद दिनांक 30.9.2014 को तनकीयात कायम करने हेतु नियत किया गया । इस प्रकार वाद दर्ज होने के पश्चात् जवाबदावा प्रस्तुत होकर आगामी कार्यवाही हेतु विचाराधीन रहा । इसके बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 9.2.2016 को जो आदेश पारित किया है वह किसी भी प्रकार से आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों के अनुसरण में नहीं है । न्यायालय द्वारा वाद दर्ज करने के उपरांत आगामी कार्यवाही संपादित करने के बाद वादपत्र के अभिवचनों के बाहर जाकर बिना विचारण के ही बिना विधिक तनकी कायम किए जो आदेश दिनांक 9.2.2016 को पारित किया है वह पूर्णतया अवैध है । वादपत्र के अभिवचनों के अनुसरण में न्यायालय को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के बिन्दु पर निस्तारण करना होता है तथा वादपत्र के अभिवचनों से वाद किसी भी प्रकार से विधि वर्जित होना साबित नहीं होता है । प्रतिवादीगण को जो भी आक्षेप अपनी प्रतिरक्षा में अंकित करने है वह जवाब दावा में अंकित किये जा सकते है तथा बिना विचारण के वाद खारीज कर अधी0न्याया0 ने अत्यन्त ही अवैधानिक निर्णय पारित किया है जो अपील के माध्यम से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 23.2.2015 को जो आदेश पारित किया जिसके द्वारा उन्होंने आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रार्थना पत्र को इसी बिन्दु पर खारिज किया था तत्पश्चात् उन्हीं आधारों पर पुनः आवेदन पत्र प्रतिवादीगण द्वारा

प्रस्तुत किया जाना विधिसम्मत् नहीं था । प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 सुनवाई योग्य ही नहीं था । बहस में यह भी कथन किया कि वाद संख्या 106/2013 में दिनांक 23.2.2015 को पारित आदेश के रहते पीठासीन अधिकारी के बदल जाने से न्यायालय को पुनः उसी बिन्दु पर उसी वाद में पश्चात्वर्ती प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार नहीं था न ही प्रतिवादी को इस आशय का आवेदन पत्र पेश करने का अधिकार था । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 निरस्त कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2020 पेज 291, आर0बी0जे0 2019 पेज 449 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । वादिया/अपीलांटस द्वारा ग्राम गढ़ी थोरियान, तहसील ब्यावर के खसरा नंबर 1596 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 1597 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 1598 रकबा 00–19–10 बीघा, खसरा नंबर 1599 रकबा 00–08–00 बीघा, खसरा नंबर 1600 रकबा 00–19–10 बीघा, खसरा नंबर 1601 रकबा 02–13–10 बीघा, खसरा नंबर 1603 रकबा 1–12–10 बीघा, खसरा नंबर 1649 रकबा 1–1–00 बीघा एवं खसरा नंबर 1658/1 रकबा 4–07–10 बीघा कुल किता 9 कुल रकबा 13–19–10 बीघा के लिये वाद प्रस्तुत किया है । वादपत्र में उक्त खसरा नंबरान के साबिक खसरा नंबर 1079, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098 व 1102 बताये गये है जो कि सर्वथा गलत है क्योंकि खसरा नंबर 1596 के साबिक नंबर 1098 व खसरा नबंर 1597 के साबिक नंबर 1097 व 1598 के साबिक नंबर 1096 तथा 1599 के साबिक नंबर 506 रकबा 58 बीघा 5 बिस्वा था जो कि पक्षकारान की खातेदारी में नहीं थी । खसरा नंबर 1600 साबिक नंबर 1095 से तथा 1601 साबिक नंबर 1094 से तथा 1603 साबिक नंबर 1092 से खसरा नंबर 1649 साबिक नंबर 1102 से तथा साबिक नंबर 58 व 1093 पक्षकारान के पिता के नहीं थे, उन्हें गलत दर्ज किया गया है । इसी प्रकार दावे में विवादित आराजी का रकबा भी गलत दर्शाया गया है । वाद फसली सन् 1350 को आधार बनाकर लाया गया है जिसके अनुसार विवादित भूमिया स्व0 झूझारा व गाजी पि0 जस्सा की विरासत से वादिया एवं प्रतिवादिया संख्या 1 व 2 के पिता क्रमशः भैरा व घीसा पि0 गाजी को प्राप्त हुई थी जिसमें दोनों भाई 1/2, 1/2 हिस्से के काश्तकार थे । साबिक खसरा नंबर 1078 के हाल खसरा नंबर 1657 व 1660 से 1663 बने है जिन पर दोनों भाई अपने–अपने हिस्से की भूमियों पर खुदकाश्त से काबिज थे। अंतिम फसली 1365 था जिसका विक्रम संवत् 2014 तथा ईस्वी सन् 1957 था । ग्राम गढ़ी थोरियान तहसील ब्यावर जिला अजमेर मेरवाड़ा स्टेट में थे जिसका विलय राजस्थान स्टेट में सन् 1956 में हुआ था । अतः राजस्थान स्टेट के काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्व भू–राजस्व अधिनियम के प्रभाव में आने पर प्रथम जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 ईस्वी सन् 1959 में कायम हुई । सन् 1959 में ही राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधि0 लागू हुआ । इन अधिनियमों के प्रभाव में आने से पूर्व ही वादिया के पिता स्व0 भैरा ने अपने हिस्से की उक्त खुदकाश्त से काश्तकारी की भूमियों को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर भूमि का कब्जा व दखल क्रेतागण को अन्तरित कर दिया था । इस कारण क्रेतागणों को राजस्थान जमीदारी बिस्वेदान उन्मूलन अधि0 के प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे । वादिया के पिता स्व0 भैरा

ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की समस्त भूमियों को दीगर व्यक्तियों को बचान कर दिया था इसलिये क्रेतागणों के नाम बहैसियत खातेदारी जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 में दर्ज हुए । खसरा नंबर 1096, 1092, 1095, 824 जिनके हाल खसरा नंबर 1598, 1603, 1600 व 1172 बने है को प्रतिवादिया संख्या 1 व 2 के पिता ने विधिक रूप से क्रय किया था । इसके अतिरिक्त खसरा नंबर 1098, 1097, 1094, 1102, 1179 की भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 घीसा के हिस्से की खुदकाश्त से खातेदारी भूमियां थी जो सबकी जानकारी में है । इसके बावजूद वादिया ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर यह वाद पेश किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । वादिया उक्त विक्रय पत्रों को निरस्त कराये बिना वादिया फसली 1350 के अभिलेख के आधार पर वाद लाने का अधिकार नहीं है तथा वाद विधि द्वारा वर्जित है । विद्वान अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर वादिया का वाद विधि वर्जित होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद खारिज किया है जो विधि सम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 16.9.2019 का वाद प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता श्री रामपाल कुमावत के वकालतनामा पेश किया । तत्पश्चात् दिनांक 15.1.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाबदावा पेश किया। तत्पश्चात् दिनांक 4.2.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा मौजूदा वाद उसमें वर्णित भूमियों को अपनी पुश्तैनी बताते हुए पेश किया है जबकि उक्त भूमियों के खातेदार काश्तकार वादीगण के पूर्वज गाजीसिंह नही होकर उनके दो पुत्र घीसा व भैरा थे जिनका प्रत्येक का उक्त आराजी में 1/2, 1/2 हिस्सा चला आ रहा था । वादिया स्व0 श्रीमती गट्टू देवी के पिता स्व0 भैरा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 घीसा ने उक्त आराजी का आपसी सहमति से विभाजन कर लिया था तथा विभाजन अनुसार ही मौके पर अलग–अलग हिस्सा करते हुए काबिज हो गये थे । स्व0 भैरा ने अपने 1/2 हिस्से की भूमियों को अलग–अलग विक्रय पत्रों के माध्यम से अपने जीवनकाल में ही वादीगण की पूर्ण एवं पर्याप्त जानकारी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 घीसा को विक्रय करते हुए उक्त 1/2 हिस्से की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 घीसा को काबिज भी करवा दिया था तब से उपरोक्त संपूर्ण आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 घीसा जी काबिज होकर खातेदार हो गये थे । वादीगण का वादग्रस्त आराजियात में लेशमात्र भाग पर कब्जा नहीं है और ना ही पूर्व में कभी रहा है । इस कारण कानूनन वादीगण के हक में कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है । अतः बिना वाद हेतुक उत्पन्न हुए लाया गया वाद पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जावे । श्रीमती गट्टू देवी वादग्रस्त भूमियों की खातेदार काश्तकार नहीं है इसलिये विभाजन की मांग नहीं कर सकती है । यह भी कथन किया कि वादा पत्र एवं उसके संलग्न शपथ पत्र विधि अनुसार हस्ताक्षरित एवं सत्यापित नहीं है । अतः शपथपत्र कानूनन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथा वादीगण का वाद इसी आधार पर नामंजूर किये जाने योग्य है । वादीगण ने वाद प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को धारा 80 जा0दी0 का नोटिस भी नहीं दिया है । उपरोक्त कारणों से वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत पोषणीय नहीं

होने से सव्यय निरस्त किया जावे । अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर आदेश दिनांक 23.2.2015 द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया है ।

7. तत्पश्चात् दिनांक 12.1.2016 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वादिया के द्वारा वाद ग्राम गढ़ी थोरियान तहसील ब्यावर स्थित आराजी खसरा नंबर 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1603, 1649, 1658/1 कुल किता 9 कुल रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा 10 बिस्वांसी बाबत् पेश किया गया है इनके साबिक खसरा नंबर 1079, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097,1098, 1102 बताये गये है जो सर्वथा गलत है तथा रकबा भी गलत दर्शाया गया है । वाद फसली सन् 1350 को आधार बनाकर लाया गया है जिसके अनुसार विवादित भूमियां स्व0 झूझारा व गाजी पि0 जस्सा की विरासत से वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता क्रमशः भैरा व घीसा पि0 गाजी को प्राप्त हुई थी, जिसमें दोनों भाई बहिस्से बराबर–बराबर 1/2, 1/2 हिस्से के काश्तकार थे। अंतिम फसली सन् 1365 था, जिसका विक्रम संवत् 2014 ईस्वी सन् 1957 था, ग्राम गढ़ी थोरियान, तहसील ब्यावर जिला अजमेर मेरवाड़ा स्टेट में था जिसका विलय राजस्थान स्टेट में सन् 1956 में हुआ था । अतः राजस्थान स्टेट के काश्तकारी अधि0 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधि0 के प्रभाव में आने पर प्रथम जमाबंदी संवत् 2016 ईस्वी सन् 1959 में कायम हुई । सन् 1959 में ही राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधि0 लागू हुआ । इन अधिनियमों के प्रभाव में आने से पूर्व ही वादिया के पिता स्व0 भैरा ने अपने हिस्से की उक्त खुद काश्त से काश्तकारी की भूमियों को अन्य व्यक्तियों को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान कर भूमि का कब्जा व दखल क्रेतागण को अन्तरित कर दिया था इसलिये भैरा की भूमियों में क्रेतागण को राजस्थान जमींदारी बिस्वेदादारी उन्मूलन अधि0 के प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे । इसलिये क्रेतागण के नाम बहैसियत खातेदार जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 में दर्ज हुए । वादिया को उसके पिता स्व0 भैरा द्वारा उसकी काश्तकारी की समस्त भूमियां दीगर व्यक्तियों को बेच दिये जाने की भली प्रकार जानकारी होने के बावजूद वास्तविक तथ्यों को छिपाकर यह झूंठा वाद पेश किया है जो गलत है । ऐसी स्थिति में फसली 1350 की भूमियों में वादिया के पिता स्व0 भैरा का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं बचा है । वादिया को इस आधार पर वाद लाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं था, यह भी इस स्थिति में जबकि आदेश 7 नियम 11 (घ) जा0दी0 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जहां वाद के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, वाद नहीं लाया जा सकता है । प्रथमतः वादिया को उक्त विक्रय पत्रों को निरस्त कराने के वाद सक्षम न्यायालय में पेश करने चाहिये थे जो नहीं किये गये है, इसलिये जब तक स्व0 भैरा द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र विधिनुसार निरस्त नहीं करवा लिये जाते तब तक वादिया फसली 1350 के अभिलेख के आधार पर ऐसा वाद लाने से विधि द्वारा वर्जित है । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादिया का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जावे । वादीगण/अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार कभी भी विभाजन भैरा व घीसा के मध्य नहीं हुआ एवं इसी कारण प्रतिवाद पत्र में भी ऐसा कोई अंकन नहीं किया गया है । प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथन साक्ष्य की विषयवस्तु है जो सभी पक्षकारान को सुनकर व उनकी साक्ष्य लेकर ही तय किये जा सकते थे किन्तु अधी0न्याया0 ने वाद को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11

जा0दी0 के तहत निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । वादीगण का वाद किसी भी प्रकार से बार्ड बॉय लॉ नहीं है । प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की पूर्ण व पर्याप्त जानकारी में ऐसे ही कथनों को आधार बनाकर एक आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 दिनांक 4.2.2015 को पेश किया गया था जिसे अधी0न्याया0 ने दिनांक 23.2.2015 को निरस्त कर दिया था इसके बावजूद प्रतिवादीगण ने पुनः उन्हीं कथनों के आधार पर नवीन प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया है जो संधारण योग्य नहीं था क्योंकि प्रतिवादी द्वारा पूर्व में खारिज किये गये प्रार्थना पत्र के आदेश से उच्च न्यायालय से अपील कर निरस्त नहीं करवाया गया है ।

8. अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष पूर्व में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 दिनांक 4.2.2015 को पेश किया था जिसे अधी0न्याया0 द्वारा आदेश दिनांक 23.2.2015 को निरस्त किया था। प्रतिवादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 23.2.2015 के विरूद्ध किसी अपीलीय न्यायालय में अपील नहीं की गई है । अब पुनः उन्हीं कथनों के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 12.1.2016 को नवीन प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया है जिसे अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 9.2.2016 द्वारा स्वीकार वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त किया है । हम विद्वान अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से सहमत है कि प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथन साक्ष्य की विषयवस्तु है जो सभी पक्षकारान को सुनकर व उनकी साक्ष्य लेकर ही तय किये जा सकते थे । अधी0न्याया0 को प्रार्थना पत्र में लिये गये ऐतराज के संबंध में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने वादीगण के वादपत्र को केवल मात्र तकनीकी आधार पर निरस्त किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे0 2020 (27) पेज 201 का अवलोकन किया जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हैः– '' आदेश 7 नियम 11–दावा तभी खारिज किया जा सकता है कि जब वाद पत्र में वर्णित तथ्य कानून से बाधित है। लेकिन दावा अतिरिक्त कथन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है । बाद तनकीया बनाकर व गवाह लेकर ही निर्णित किया जा सकता है । '' इसी प्रकार आर0बी0जे0 2018 पेज 449 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है किः– '' आदेश 7 नियम 11–जब प्रार्थना पत्र में जो बिन्दु उठाये गये है व तथ्य व कानून के मिश्रित प्रश्न है वह प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत निर्णित नहीं किये जा सकते है । '' उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में उठाये गये तथ्य विधि व कानून के मिश्रित प्रश्न है जिनका निस्तारण वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही किया जा सकता था, किन्तु अधी0न्याया0 ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपातिद सिद्धांतों के विपरीत केवल मात्र तकनीकी आधार पर वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.2.2016 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 12.1.2016

को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर